Date ___/___/_____

आलोक कुमार राय (अवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

उद्देशिका या प्रस्तावना

"उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है" - न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव उच्चतम न्यायालय के अनुसार - "उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है"।

संविधान की रचना करते समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था और वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सबको जानने का माध्यम उद्देशिका ही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका इस प्रकार है -

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए; तथा उसके समस्त नागरिकों को; सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए; तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

TE 7 PRO
AMERA

Saathi

Date __/__/____

प्रस्तावना में (42 वें संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित दो संशोधन किए गए

1. शब्द 'प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर 'संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया।
2. 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखण्डता' शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

एस० आर० बोम्मई बनाम भारत संघ AIR 1994 SC 1918 के मामले में पंथनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि —
"यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की एक सकारात्मक अवधारणा है।"

अरुणा राय बनाम भारतसंघ AIR 2002 SC 3176 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि — पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है सभी धर्मों का ज्ञान होना और उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए और उसके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना चाहिए।

उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में महत्व :-

इन री बेरुबारी यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। SC ने कहा कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणातत्व भले ही कहा जाय किन्तु इसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता

OMI NOTE 7 PRO

Saathi

Date __/__/____

इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करती है और न ही किसी भी भाँति निर्बान्धित, नियन्त्रित व संकुचित करती है। उद्देशिका का महत्व तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो।

किन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में S.C ने बेरूबारी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। प्रस्तुत मामले में अनु० 368 के अन्तर्गत उद्देशिका के आधार पर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर परिसीमा लगाई गई थी और यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है किन्तु वह संविधान के 'आधारभूत' ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती।

इसीप्रकार रनधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उद्देशिका का अनुसरण करते हुए निर्णीत किया कि अनु० 14, 16 व 39क के अन्तर्गत स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन" का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है। अतः यह एक मूल अधिकार है।

उद्देशिका के लाभ :-

उद्देशिका निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है :-

1. संविधान के स्रोत क्या है ? - अर्थात् हम भारत के लोग।'
2. संविधान का उद्देश्य क्या है ? — अर्थात् इसमें उन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों हेतु सुनिश्चित बनाने की इच्छा की थी।
3. इसमें संविधान को प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख है।

E 7 PRO
AMERA

Saathi

Date ___/___/___

उद्देशिका के उद्देश्य

संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है —

(क) न्याय :- सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक
(ख) स्वतन्त्रता :- विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की
(ग) समानता :- पद एवं अवसर की
(घ) बंधुत्व :- व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता के लिए।

एक ओर जहाँ संविधान व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर उसका लक्ष्य देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्य बनाए रखना है।

नन्दिनी सुन्दर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2011 S.C 2839 : के मामले में S.C ने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का वचन दिया गया है जिससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। नक्सलवाद एवं माओवाद से इस वचन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है।

निष्कर्षत: 42वे संविधान संशोधन द्वारा केशवानन्द भारती में दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया गया व यह स्पष्ट किया गया कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन उद्देशिका मे किए गए संशोधन को इस आधार पर चुनौती दिया जा सकता है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA